कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1795 / FP/UK/ROAD/15408/2015 :देहरादून:दिनांक: 22 जनवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू–साल्ड–उपरीकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 14.00 से निसमोर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.238 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 35 / 2016 / एफ0सी0 / 1712 दिनांक 19–11–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 3220 / 12–1 दिनांक 08–05–2019 **(प्रति संलग्न)** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :

1. भारत सरकार की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 238 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 2,61,800.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
2. भारत सरकार की शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 1,56,366.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. भारत सरकार की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बढोत्तरी के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
4. भारत सरकार की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण में कुल जमा की गयी धनराशि रू0 4,18,166.00 मात्र की ऑनलाईन पोर्टल के paid रसीद की प्रति सलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
5. भारत सरकार की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव है सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation प्रयोक्ता एजेन्सी अपने व्यय पर करने हेतु वचनबद्ध है।
6. भारत सरकार की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के उपरोक्त उल्लेखित पत्र दिनांक:08–05–2019 के बिन्दु संख्या–06 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त परियोजना 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल की है।अतः भारत सरकार के गाईडलाईन के अनुसार 1.00 है0 से कम की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना लागू नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,
22/1/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– / FP/UK/ROAD/15408/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी